दिनांक 21.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 40/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद हरदोई/थाना लोनार/थाना सवायजपुर</u>

• पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

• 56 हजार रूपये नगद

• 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 20/21.12.2025 को थाना लोनार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त1–बिजेन्द्र 2–नेत्रपाल को गिरफ्तार किया गया एवं 03 अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी हेतु सूचना के आधार पर थाना सवायजपुर पुलिस टीम द्वारा मत्तीपुर पुलिया के पास घेराबन्दी की गई तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 3–देवी 4–भूपराम घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 5–हरिराम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 56 हजार रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त देवी के विरूद्ध जनपद गाजीपुर, कन्नौज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त भूपराम के विरूद्ध जनपद खीरी, गाजीपुर, शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त बिजेन्द्र के विरूद्ध जनपद खीरी, शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में जनपद हरदोई पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–बिजेन्द्र निवासी ग्राम रमपुरा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी।

2—नेत्रपाल निवासी ग्राम मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

3—देवी निवासी ग्राम मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

4—भूपराम निवासी ग्राम रमपुरा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी।

5—हरिराम निवासी ग्राम मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—56 हजार रूपये नगद।

2—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद फतेहगढ़/थाना कादरीगेट

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 84 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 20/21.12.2025 की रात्रि थाना कादरीगेट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोड़वेज बस स्टैण्ड फर्रूखाबाद के पास से अभियुक्त कपिल कुमार को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 84 हजार 500 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.12.2025 को थाना कादरीगेट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कादरीगेट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कपिल कुमार निवासी जरौठा थाना बलदेव जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—लूट के 01 लाख 84 हजार 500 रूपये नगद।

2—01 मोबाइल फोन आदि।

- **<u>जनपद कन्नौज (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 08 करोड़ 65 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद कन्नौज पुलिस ने अभियुक्त 1–नवाब सिंह 2–वीरपाल उर्फ नीलू निवासी ग्राम अडंगापुर थाना कोतवाली जनपद कन्नौज द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 08 करोड़ 65 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>जनपद अलीगढ़ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 03 करोड़ 17 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस ने अभियुक्त 1–खालिद उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 शब्बीर हसन निवासी बरगद हाउस के पास थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ़ 2–रफत अली पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी नाज प्लाजा मैडीकल रोड सर सैय्यद नगर थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ़ हालपता ब्रिजीश रेजीडेन्सी गली नं0–4 इकरा कॉलोनी थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ द्वारा अपने तथा अपने परिवारीजन के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 03 करोड़ 17 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

———————